भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2221** जिसका उत्तर

मंगलवार, **22** मार्च, 2022 (1 चैत्र, 1944 (शक)) को दिया जाना है

माल ढुलाई के लिए उपयोगी पाए गए जलमार्ग

2221 # श्रीमती छाया वर्मा:

श्री राम नाथ ठाकुर:

चौधरी सुखराम सिंह यादव:

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने जलमार्गों को माल ढुलाई के लिए उपयोगी पाया गया है;

(ख) वर्तमान में कितने जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई का कार्य किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि माल ढुलाई के लिए चयनित ज्यादातर जलमार्गों का उपयोग नहीं हो रहा है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में इन जलमार्गों के विकास हेतु खर्च की गई निधि तथा इसी अवधि में प्राप्त हुए राजस्व का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 111 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) (5 मौजूदा और 106 नए सहित) घोषित किए गए थे। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के परिणाम और राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के आधार पर 26 राष्ट्रीय जलमार्गों को कार्गो/यात्री आवागमन के लिए व्यवहार्य पाया गया है (**अनुबंध-1** में विवरण दिया गया है)।

(ख): इस समय, उपर्युक्त 26 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 19 राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल की ढुलाई रिकॉर्ड की जाती है।

(ग): जी, नहीं। अधिकतर जलमार्ग उपयोगी हैं, क्योंकि माल ढुलाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले 26 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 19 में वर्ष 2020-21 के दौरान 83.61 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) तथा वर्ष 2021-22 के दौरान (दिनांक 28.02.2022 तक) 96.31 एमटीए कार्गो आवागमन यातायात रिकॉर्ड किया गया है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जलमार्गों के विकास के लिए व्यय की गई निधियों और इस अवधि के दौरान राजस्व का विवरण **अनुबंध-2** में दिया गया है।

अनुबंध-1

कार्गो/यात्री आवागमन के लिए व्यावहारिक पाए गए 26 राष्ट्रीय जलमार्गों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग	जलमार्गों का ब्यौरा	राज्य	स्थिति
1.	राष्ट्रीय जलमार्ग 1	गंगा -भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया - इलाहाबाद)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक **जलमार्ग विकास परियोजना** की सहायता से विकासात्मक कार्य किए गए
2.	राष्ट्रीय जलमार्ग 2	ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सादिया)	असम	वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए स्वीकृत किए गए एसएफसी के अनुसार किए गए विकास कार्य
3.	राष्ट्रीय जलमार्ग 16	बराक नदी	असम	
4.	राष्ट्रीय जलमार्ग 3	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम), चंपाकरा एवं उद्योगमंडल नहर	केरल	अधिकांशत: प्रचालनात्मक जलमार्ग तथा विकास एवं रखरखाव संबंधी कार्य किए गए।
5.	राष्ट्रीय जलमार्ग 4	कृष्णा नदी (विजवाड़ा-मुक्तयला)	आंध्र प्रदेश	
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग 5	मंगलागढ़ी से पानकोपल से होते हुए धमरा-पराडियो	ओडिशा	
7.	राष्ट्रीय जलमार्ग 8	अलाप्पुझा -चंगनसरी नहर	केरल	
8.	राष्ट्रीय जलमार्ग 9	अलाप्पुझा -कोट्टायम - अथिरमप्पुझा नहर	केरल वैकल्पिक मार्ग: 11.5 कि.मी.	
9.	राष्ट्रीय जलमार्ग 27	कंबरजुआ नदी	गोवा	
10.	राष्ट्रीय जलमार्ग 68	माण्डवी नदी	गोवा	
11.	राष्ट्रीय जलमार्ग 86	रूपन्नारायण नदी	पश्चिम बंगाल	
12.	राष्ट्रीय जलमार्ग 97	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल	

13.	राष्ट्रीय जलमार्ग 111	ज़ुआरी नदी	गोवा	
14.	राष्ट्रीय जलमार्ग 10	अंबा नदी	महाराष्ट्र	विकास के लिए योजना तैयार की गई है।
15.	राष्ट्रीय जलमार्ग 40	घाघरा नदी	बिहार	
16.	राष्ट्रीय जलमार्ग 44	इच्छामती नदी	पश्चिम बंगाल	
17.	राष्ट्रीय जलमार्ग 52	काली नदी	कर्नाटक	
18.	राष्ट्रीय जलमार्ग 57	कोपिली नदी	असम	
19.	राष्ट्रीय जलमार्ग 25	चपौरा नदी	गोवा	
20.	राष्ट्रीय जलमार्ग 37	गंडक नदी	बिहार	
21.	राष्ट्रीय जलमार्ग 28	दभोल क्रीक वशिष्टि नदी	महाराष्ट्र	
22.	राष्ट्रीय जलमार्ग 73	नर्मदा नदी	महाराष्ट्र और गुजरात	
23.	राष्ट्रीय जलमार्ग 85	रेवदंडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली	महाराष्ट्र	
24.	राष्ट्रीय जलमार्ग 94	सोन नदी	बिहार	
25.	राष्ट्रीय जलमार्ग 100	तापी नदी	महाराष्ट्र और गुजरात	
26.	राष्ट्रीय जलमार्ग 31	धनसीरी नदी	असम	

अनुबंध-2

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधि और प्रयुक्त (व्यय) का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2018-19	703.29	809.28*
2019-20	406.60	732.78*
2020-21	413.50	351.86

* वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान हुए व्यय में वर्ष 2017-18 के दौरान उगाहे गए ईबीआर की बकाया निधि भी शामिल है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में आईडब्ल्यूएआई द्वारा अल्प अवधि जमा राशियों, निविदा प्रपत्रों की बिक्री, बड़े आकार के कार्गो/सामान्य कार्गो आवागमन, बर्थिंग/पायलेटेज प्रभारों आदि के रूप में अर्जित राजस्व की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
राजस्व (लाख रु. में)	3712.88	2995.98	1950.05

*****